



न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) नगीना, बिजनौर।

वाद सं0 696 / 2021

योगेन्द्र कुमार बनाम वीरेन्द्र सिंह

17-01-2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, न ही स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र 6ग पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में दावा दायर किये जाने की दिनांक 03-08-2021 को प्रार्थना-पत्र 6ग के निस्तारण तक विवादित सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे और तभी से पत्रावली प्रार्थना-पत्र 6ग के निस्तारण हेतु नियत चल रही है। प्रतिवादी पर दिनांक 23-09-2022 को पर्याप्त अवधारित की जा चुकी है तथा प्रतिवादी को अनेकों अवसर प्रार्थना-पत्र 6ग के विरुद्ध आपत्ति एवं प्रतिवाद-पत्र दाखिल करने हेतु दिये जा चुके हैं परन्तु प्रतिवादी की ओर प्रार्थना-पत्र 6ग के विरुद्ध आपत्ति दाखिल नहीं की गयी, बल्कि प्रतिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है, जबकि वादी लगातार उपस्थित चल रहा है और उसकी ओर से एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा(यथास्थिति आदेश) निरन्तर किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रत्येक तिथि पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में **प्रार्थना-पत्र 6ग का निस्तारण करते हुए उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दौरान वाद विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखेंगे।** प्रतिवादी को प्रतिवाद-पत्र प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में एक अवसर प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्ते प्रतिवाद-पत्र/वाद-बिन्दु विरचना दिनांक 14-03-2023 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0)
नगीना, बिजनौर।